न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/8988 दिनांक – 21.10.25

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 जोगाराम पुत्र खेराजराम जाति जाट निवासी बानों की ढाणी, बेरीवाला तला तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर।		1 निम्बाराम पुत्र चिमाराम 2 पाबूराम पुत्र चुतराराम 3 रूपाराम पुत्र कुम्भाराम 4 गिरधारीराम पुत्र हरजीराम 5 धर्माराम 6 राजूराम पिरारान हेमाराम 7 करनाराम पुत्र कुम्भाराम 8 आईदानराम पुत्र जेठाराम 9 अणछीदेवी पत्नि कौशलाराम 10 पेमाराम पुत्र कौशलाराम 11 कमलादेवी पत्नि परमानराम 12 मोहित पुत्र परमानराम नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता कमलादेवी पत्नि परमानराम 13 ईश्वरदास पुत्र गोडाराम 14 हरूराम पुत्र अर्जुराम निवासी बानों की ढाणी, बेरीवाला तला तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत

राजस्व आवेदन संख्या :– 495/2025 दिनांक– 14/10/2025

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा बानो की ढाणी पटवार हल्का बेरीवाला तला तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाड़मेंर के खेत खसरा संख्या 1752/1287 रकबा 18.0732 हैक्टेयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)
उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

क्रमांक :– रीडर/2025/8989-92 दिनांक– 21-10-25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बेरिवाला तला तहसील बाडमेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही [illegible]।
3. प्रार्थी जोगाराम पुत्र खेराजराम जाति जाट निवासी बानों की ढाणी, बेरीवाला तला तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थीगण निम्बाराम पुत्र चिमाराम वगैरह निवासी बानों की ढाणी, बेरीवाला तला तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yasharth Shekhar
Date: 2025.10.25 12:35:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर